



सत्यमेव जयते

शहरी विकास मंत्रालय



स्वच्छ सर्वेक्षण 2017

सर्वेक्षण निर्देशिका



स्वच्छ भारत मिशन



कार्यकारी सार

शहरी स्वच्छता में सुधार लाने के लिए नगरों को प्रोत्साहित करने की प्रस्तावना के रूप में जनवरी, 2016 में 73 शहरों की रेटिंग के लिए शहरी विकास मंत्रालय ने “स्वच्छ सर्वेक्षण-2016” का आयोजन किया था। रैंकिंग कार्य की कवरेज को बढ़ाने के उद्देश्य से और शहरों तथा कस्बों को प्रोत्साहित करने के लिए कि वे समय पर और अभिनव ढंग से मिशन की पहलों को सक्रिय रूप से कार्यान्वित करें, शहरी विकास मंत्रालय ने अब स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (एसबीएम-यू) के अंतर्गत 500 शहरों (एक लाख और उससे अधिक की जनसंख्या वाले) की रैंकिंग के लिए दूसरा सर्वेक्षण आयोजित करने का प्रस्ताव किया है।

सर्वेक्षण का उद्देश्य कस्बों और शहरों को रहने का बेहतर स्थान बनाने की ओर मिलकर बहुसंख्या में भागीदारी को बढ़ावा देना तथा समाज के सभी वर्गों में जागरूकता पैदा करना है। इसके अतिरिक्त सर्वेक्षण से शहरों को स्वच्छ बनाने में और नागरिकों को सेवाएं प्रदान करने में सुधार करने एवं शहरों और कस्बों में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को जागृत करना है।

सर्वेक्षण की निश्चयात्मकता और भावना को समझने हेतु विकास का अधिकतम सर्वेक्षण से लाभ उठाने के लिए शहरों की क्षमताओं को सुदृढ़ करने के लिए संगठित प्रयास किए जा रहे हैं। शहरों और कस्बों को सर्वेक्षण के लिए तैयार होने के लिए अधिक समय दिए जाने के अतिरिक्त, यूएलबी को सर्वेक्षण की विधि, सर्वेक्षण प्रक्रिया और परिणाम संकेतकों से परिचित कराने के लिए उनसे खुलकर बातचीत की जाएगी और सर्वेक्षण से उनकी प्रत्याशाओं पर स्पष्टीकरण भी दिए जाएंगे।

चूंकि इस सर्वेक्षण का महत्वपूर्ण घटक नागरिकों की भागीदारी है, सामाजिक मीडिया और अन्य परम्परागत मीडिया चैनलों का भी राष्ट्रीय, राज्य और शहर स्तर पर महत्वपूर्ण प्रयोग किया जाएगा जिसमें जनता को सर्वेक्षण और सर्वेक्षण विधि के उद्देश्यों के बारे में जनता को जानकारी दिए जाने के साथ-साथ सर्वेक्षण में उनकी भागीदारी के महत्व को प्रबलित करना है ताकि सभी नागरिकों की उच्च स्तर पर भागीदारी सुनिश्चित की जा सके।

एक कदम स्वच्छता की ओर





आंकड़ा संग्रहण के स्रोत व विधियां

शहरों की रैंकिंग के लिए एकत्र किए जाने वाले आंकड़ों को 3 मुख्य क्षेत्रों में पृथक किया जायेगा:

- | | | |
|---|---|------------|
| 1 | नगर निकाय से आंकड़ों का संग्रहण और उसके साथ परस्पर वार्तालाप करना | -महत्व 45% |
| 2 | प्रत्यक्ष प्रेक्षण से आंकड़ों का संग्रहण | -महत्व 25% |
| 3 | नागरिक फीड बैक से आंकड़ों का संग्रहण | -महत्व 30% |

नगर निकाय से आंकड़ों का संग्रहण और अधिकारियों के साथ वार्तालाप: शहरी विकास मंत्रालय यह सुनिश्चित करेगा कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और शौचालयों के संबंध में नगर और अन्य संबंधित एजेंसियों से स्व-मूल्यांकन की एक प्रक्रिया द्वारा पहले से प्रारंभिक आंकड़े एकत्र किए जाने की आवश्यकता है। स्थिति के मूल्यांकन के संबंध में अधिकारियों के साथ परस्पर वार्तालाप भी इस न्याचार का भाग है। सर्वेक्षण एजेंसियों द्वारा इस पर ध्यान दिए जाने की जरूरत ये हैं कि वे नीचे दिए गए न्याचार के बाद आंकड़ों को एकत्र करें और व्यवस्थिति रूप से इनका विश्लेषण करें और यह प्रक्रिया और निष्पक्ष हो।

प्रत्यक्ष प्रेक्षण से आंकड़ों का संग्रहण: प्रत्यक्ष प्रेक्षण से आंकड़ों का संग्रहण सर्वेक्षण एजेंसी के वास्तविक प्रेक्षण पर आधारित होगा। इस प्रश्नावली को आंकड़ा संग्रहण के लिए एक साधन के रूप में उपयोग किया जाएगा। सर्वेक्षण फर्म उनके प्रेक्षणों और निष्कर्षों को दर्ज करने के लिए नक्शों और सरल हस्त रिकार्डिंग प्रपत्रों का उपयोग करेगी तथा उसके साथ-साथ फोटो/दृश्य प्रलेखन भी किया जाएगा। यह सर्वेक्षण एजेंसी क्षेत्रीय प्रेक्षणों के लिए साक्ष्य के रूप में व्यवस्थित रूप से श्रव्य फोटो और/दृश्य क्लिपों को एकत्र और रिकार्ड करेगी। उनको अनिवार्यतः उपयुक्त रूप से तारीख/समय/स्थान पैरामीटरी सहित प्रलेखित करके प्रत्येक शहर के आंकड़ों और रिपोर्टों सहित उनके संविदीय दस्तावेजों के भाग के रूप में शहरी विकास मंत्रालय को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

प्रत्यक्ष प्रेक्षण के भाग के रूप में सर्वेक्षण एजेंसी प्रत्येक शहर के निम्नलिखित स्थानों का दौरा करेगी। प्रत्येक शहर के प्रत्येक जोन में।

- **स्लम क्षेत्र:** शहर के विभिन्न भागों में अनौपचारिक बस्तियां और शहरी गांव। (प्रत्येक जोन में अर्थात उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में सबसे बड़े स्लम)।
- **अड़ोस-पड़ोस (गैर-स्लम स्थान) निम्नलिखित सहित:**
 - ◆ नगरपालिका अधिकार क्षेत्र में नियोजित कालोनी (प्रत्येक जोन अर्थात उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में विशाल नियोजित कालोनी)
 - ◆ अनियोजित कालोनी (प्रत्येक जोन अर्थात उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में विशाल अनियोजित कालोनी)
- **वाणिज्यिक/मुख्य सार्वजनिक स्थल**
 - ◆ मुख्य बाजार क्षेत्र (प्रत्येक जोन अर्थात उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में विशाल बाजार क्षेत्र)
 - ◆ धार्मिक स्थान (प्रत्येक जोन अर्थात उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में विशाल स्थान)
 - ◆ मुख्य बस अड्डा (शहर में बड़ा बस अड्डा)
 - ◆ मुख्य रेलवे स्टेशन (शहर में बड़ा रेलवे स्टेशन)
- **अधिकांश अपशिष्ट सृजक अर्थात होटल, भेज-कक्ष, साप्ताहिक सब्जी मंडी क्षेत्र (उनमें से एक (प्रत्येक जोन अर्थात अर्थात उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में विशाल अधिकांश अपशिष्ट सृजक)**
- **सामुदायिक शौचालय (प्रत्येक जोन अर्थात अर्थात उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में 2 सामुदायिक शौचालय)**
- **सार्वजनिक शौचालय (प्रत्येक जोन अर्थात अर्थात उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में 2 सार्वजनिक शौचालय)**

नागरिक फीडबैक से आंकड़ों का संग्रहण: शहर में नमूना आकार 1000 नागरिक होगा अथवा शहर की जनसंख्या का 0.1% जो भी कम हो, : कतिपय संकेतकों के बारे में आंकड़ों का पता लगाने और उनकी पुष्टि करने के स्थानीय लोगों के साथ बातचीत। इस प्रश्नावली का आंकड़ा संग्रहण के साधन के रूप में उपयोग किया जाएगा। शहरी स्थानीय निकाय द्वारा दूरभाष संख्याओं (वार्ड वार) का डेटाबेस प्रदान किया जाएगा। यूएलबी से पर्याप्त आंकड़ों के अभाव में कस्बा/शहर के लिए तृतीय पक्ष वेंडर डाटा का प्रयोग किया जा सकता है। सामाजिक मीडिया, आईवीआर आधारित सर्वेक्षण आदि साधनों से नागरिक फीडबैक प्राप्त की जा सकती है।

विचार बिन्दु :

- 2 यह सर्वेक्षण अधिकांशतः जानकारी/सूचना/आंकड़ों पर आधारित होगी जिनकी शहरी स्थानीय निकाय स्तर पर डीपीआर/एसबीएम पोर्टल अथवा रखे गए रिकार्डों के माध्यम से जांच की जा सकती है। यदि साझा किए गए जानकारी/सूचना/आंकड़ों की जांच करने योग्य नहीं होते तो इस प्रक्रिया में किसी संदिग्धता को दूर करने के लिए प्रतिनिधि संकेतकों को विकसित किया जाएगा।
- 3 जहां पर जानकारी/सूचना आंकड़े दिए जाते हैं, को अधिक महत्ता दी जायेगी और/अथवा कृत्रिमता होगी उनकी जांच की जा सकती है ताकि एकत्र की गई सूचना को चुनौती नहीं दी जा सके।
- 4 यूएलबी द्वारा किए गए विषयक सफाई अभियानों को अधिक महत्व दिए जाने का प्रस्ताव है, विशेषकर अभियानों के स्थानीय मीडिया कवरेज के साथ-साथ इन मीडिया के व्यौरों को यूएलबी द्वारा स्वच्छ भारत शहरी और मायगव पोर्टलों पर अपलोड करना।
- 5 व्यक्तिनिष्ठता के लिए एकत्र की गई जानकारी हेतु विशिष्ट प्रश्न पूछे जाएंगे।
- 6 सभी तीन स्रोतों से एकत्र किए गए आंकड़ों को वास्तविक समय के आधार पर सेंट्रल सर्वर पर आद्यतन किया जाएगा।
- 7 जो कुछ आयुक्त के क्षेत्राधिकार के भीतर नहीं है, को किसी प्रक्रिया संकेतक/पैरामीटर में शामिल नहीं किया जायेगा।
- 8 सर्वेक्षण प्रक्रिया को सभी शहरों में एक साथ शुरू किया जाएगा।

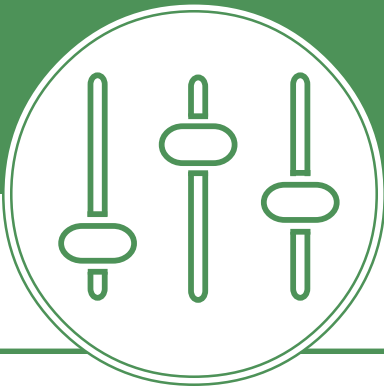
नगर निकाय मे एकत्र किए जाने वाले आंकड़े

क्षेत्रीय प्रेक्षणों के लिए साक्ष्य के रूप में फोटो एक किया जाना आवश्यक होगा।

उपलब्धियां	प्रस्तावित तारीख
■ सर्वेक्षण क्रियाविधि को साझा करने के लिए संबंधित नगर आयुक्त/राज्य मिशन निदेशकों के साथ वीडियो कांफ्रेंस	15 मई, 2016 से
■ व्यापक जागरूकता पैदा करना और नागरिक आबधता	1 जून, 2016 से
■ सर्वेक्षण का प्रारम्भ (नागरिक फीडबैक से डाटा संग्रहण)	4 जनवरी 2017
■ क्षेत्रीय दौरा, आंकड़ा संग्रहण और विश्लेषण की पूर्णता	4 फरवरी, 2017
■ विस्तृत संकेतक वार और समग्र अंकों और सर्वेक्षण, विश्लेषण और निष्कर्षों सहित विस्तृत रिपोर्ट के साथ शहरों की रेकिंग	एसबीएम पोर्टल पर 15 फरवरी, 2017

टिप्पणी: राज्य मिशनों को सर्वेक्षण एजेंसियों द्वारा चलवाए गए आंकड़ा संग्रहण कार्यकलापों में मदद करने के लिए एक प्रारम्भिक चरण के रूप में 15 मई, 2016 से 8 महीने का समय मिलेगा।

कार्यकारी सार



छः व्यापक क्षेत्र जिनके लिए विस्तृत प्रक्रियाएं और परिणाम संकेतक इस प्रकार हैं:

मूल्यांकन का क्षेत्र

1	खुले में मल त्याग मुक्त नगर (ओडीएफ) और एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एसडब्ल्यूएम) के लिए कार्यनीति	5%
2	सूचना शिक्षा और आचरण परिवर्तन संचार (आईईबीसी) संबंधी कार्यकलाप	5%
3	घर-घर जाकर कचरा संग्रहण, सफाई करना, कचरा संग्रहण और परिवहन	40%
4	संसाधित करना और निपटान	20%
5	सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालय प्रावधान	15%
6	पारिवारिक शौचालय	15%

नागरिकों की फीडबैक के महत्व को 30% (पूर्व के 25% से) तक बढ़ा दिया गया है जबकि यूएलबी प्रतिक्रिया के महत्व को 45% तक (पूर्व के 50%) से घटा दिया गया है, स्वतंत्र प्रेक्षण के महत्व को 25% पर ही बनाये रखा गया है।

विस्तृत प्रक्रिया और दो हजार के अंकों के परिणाम संकेतक अनुलग्नक-II के अनुसार हैं।

प्रतिवादी: नगर निगम (कुल अंक 900)

1.1 नगर ठोस अपशिष्ट-झाडू लगाने, संग्रहण और परिवहन (कुल अंक 360)

ठोस अपशिष्ट-झाडू लगाना

क) शहर में झाडू लगाने के लिए कार्यरत जनशक्ति/स्वचालित प्रणालियां

■ क्या आईसीटी-आधारित स्टाफ उपस्थिति प्रणाली कार्य कर रही है?	
कोटि-निर्धारण स्कीम	अंक
सम्पूर्ण शहर में कार्यरत आईसीटी-आधारित उपस्थिति प्रणाली और मुख्य कार्यालय स्तर पर निगरानी	23
सम्पूर्ण शहर में कार्यरत आईसीटी-आधारित उपस्थिति प्रणाली परन्तु मुख्य कार्यालय स्तर पर निगरानी नहीं की गई	16
शहर के कुछ भाग में कार्यरत आईसीटी-आधारित उपस्थिति प्रणाली और मुख्य कार्यालय स्तर पर निगरानी की गई	11
शहर के कुछ भाग में कार्यरत आईसीटी-आधारित उपस्थिति प्रणाली और मुख्य कार्यालय स्तर पर निगरानी नहीं की गई	5
आईसीटी आधारित उपस्थिति प्रणाली कार्यरत नहीं है	0
■ क्या एक स्वच्छ शहर योजना/डीपीआर संस्तुत पदों के लिए स्टाफ के पद कम हैं (यदि स्टाफ के पद >40% पद रिक्त हैं, तो शून्य अंक)	
<10%	18
10%-20%	14
21% से 30%	9
31%-40%	5
40% से अधिक	0

ख) शहर में सड़क पर लगाई गई झाडू की गई सफाई और हटाया गया मलबा

■ सरकारी सफाई कर्मचारी/निजी संविदाकर्ता द्वारा दैनिक अपशिष्ट संग्रहण के लिए लगाया गया संभार-तंत्र कुल ठोस अपशिष्ट सृजन, जिसको नियमित रूप से एकत्र किया जाता है, का अनुपात (सृजन पर कुल अपशिष्ट संग्रहण)	
100%	18
80%-99%	14
60% से 79%	9
40%-59%	5
40% से नीचे	0

काल प्रणाली पर मलबा:

■ क्या निर्माण और डिमोलिशन को एकत्र करने के लिए एक पृथक प्रणाली कार्यरत है?	
हां	8
नहीं	0
■ अपशिष्ट शोधन/निपटान सुविधा/व्यवस्था कार्यरत और क्रियात्मक है?	
हां	8
नहीं	0
■ क्या पृथक उपयोगकर्ता प्रभागों को अधिसूचित और एकत्रित किया गया है?	
हां	8
नहीं	0
■ क्या व्यावसायिक क्षेत्र की सड़कों पर दिन में दो बार सफाई शुरू की गई –	
100% वार्ड	23
80%-99%	16
60% से 79%	11
40% से 59%	5
40% वार्ड से नीचे	0

ग) व्यावसायिक क्षेत्रों मे दुकानों और अन्य संस्थानों से द्वार से द्वार अपशिष्ट एकत्रित और परिवहन किया गया

मूल्यांकन मानदंड/शर्तें

■ व्यावसायिक क्षेत्रों में दुकानों और अन्य संस्थानों के लिए कार्यरत दैनिक संग्रहण और परिवहन योजना	
100% व्यावसायिक क्षेत्र	8
80%-99% व्यावसायिक क्षेत्र	6
60% से 79% व्यावसायिक क्षेत्र	4
40% से 59% व्यावसायिक क्षेत्र	2
40% से नीचे व्यावसायिक क्षेत्र	0
■ व्यावसायिक क्षेत्रों में दुकानों और अन्य संस्थापनों से द्वार से द्वार अपशिष्ट संग्रहण प्रणाली से कवर किया गया है—	
100% वार्ड	18
80%-99%	14
60% से 79%	9
40% से 59%	5
40% से नीचे	0
■ क्या आपके पास व्यावसायिक क्षेत्रों में (अर्थात होटल, दावत-भवनों इत्यादि)में बल्क कचरा जेनेरेटर्स के लिए सीधे संग्रहण स्थल पर प्रबंधन के लिए कोई प्रणाली है	
हां	12
नहीं	0
■ व्यावसायिक क्षेत्रों में समुचित स्थानों पर संग्रहण कूड़ेदानों (क्रियात्मक) की उपलब्धता	
प्रति व्यावसायिक क्षेत्र पर रखे 6-8 संग्रहण कूड़ा दान	18
प्रति व्यावसायिक क्षेत्र पर रखे 3-5 संग्रहण कूड़ा दान	12
प्रति व्यावसायिक क्षेत्र पर रखे 1-2 संग्रहण कूड़ा दान	6
पात्र शहर, लेकिन कोई कूड़ेदान नहीं रखा गया	0
■ व्यावसायिक क्षेत्रों में उपयोगकर्ता प्रभार इस प्रकार है—	
अधिसूचित और संग्रहित	23
अधिसूचित नहीं परन्तु एकत्रित	16
अधिसूचित परन्तु एकत्रित नहीं	8
न ही अधिसूचित न ही एकत्रित	0
■ व्यावसायिक क्षेत्रों से स्रोत पर अपशिष्ट को पथिक किया गया और निपटान/शोधन तक पथिवकरण को बनाए रखा गया	
100% वार्ड	23
80%-90% वार्ड	16
60%-79% वार्ड	11
40%-59% वार्ड	5
40% से नीचे	0
(घ) आवासीय क्षेत्रों में सड़क पर झाड़ू लगाने, सफाई करने और मलबा हटाने का किया गया कार्य	
■ आवासीय क्षेत्रों में एक बार झाड़ू लगाने/सफाई करने का किया गया कार्य—	
100% वार्ड	18
80% - 99% वार्ड	14
60% - 79% वार्ड	9
40% - 59% वार्ड	5
40% से नीचे	0
(ङ) आवासीय क्षेत्रों से किया गया द्वार से द्वार अपशिष्ट संग्रहण मूल्यांकन मानदंड/शर्तें	
■ आवासीय क्षेत्रों के लिए कार्यरत दैनिक संग्रहण और परिवहन योजना	
हां	12
नहीं	0

■	आवासीय क्षेत्रों को द्वार से द्वार ठोस अपशिष्ट संग्रहण प्रणाली को कवर किया जाता हैं	
	100% वार्ड	23
	80% – 99% वार्ड	16
	60% – 79% वार्ड	11
	40% – 59% वार्ड	5
	40% से नीचे	0
■	आप आवासीय में बल्क कचरा जेनेरेटर्स से अपशिष्ट को कैसे व्यवस्थित करते हैं	
	बल्क जेनेरेटर्स द्वारा अपने-आप व्यवस्थित	12
	शहरी स्थानीय निकास द्वारा प्रत्यक्ष रूप से एकत्रित	8
	कोई व्यवस्था कार्यरत नहीं	0
■	आवासीय क्षेत्रों में समुचित स्थानों पर संग्रहण कुड़ेदानों (क्रियात्मक और ब्रांडिड) की उपलब्धता	
	शहर पड़ोसी क्षेत्रों के लिए कुड़ेदान मुक्त है'	18
	75 लोगों हेतु एक कुड़ेदान	13
	100 लोगों हेतु एक कुड़ेदान	6
	150 लोगों हेतु एक कुड़ेदान	3
	150 से कम लोगों हेतु एक कुड़ेदान	0
■	क्या रिहायशी क्षेत्रों में प्रयोक्ता प्रभार हैं	
	अधिसूचित और एकत्रित किए गए	23
	अधिसूचित नहीं और एकत्रित किए गए	16
	अधिसूचित लेकिन एकत्रित नहीं किए गए	8
	न तो अधिसूचित किए गए और न ही एकत्रित किए गए	0
■	रिहायशी क्षेत्रों स्रोत पर कचरे को अलग करना और निपटान और शोधन होने तक इसे अलग-अलग करने की क्रिया जारी रखी गई	
	हां	10
	नहीं	0

ठोस अपशिष्ट-लाना ले जाना

(च) सुरक्षित निपटान/वैज्ञानिक शोधन के लिए दैनिक आधार पर कचरा को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया गया।

■	स्वच्छ सिटी प्लान/डीपीआर के अनुसार अपशिष्ट परिवहन के लिए रोड मैप तैयार करना	
	स्वच्छ सिटी प्लान/डीपीआर लागू है और कार्यान्वित की जा रही	18
	स्वच्छ सिटी प्लान/डीपीआर लागू है और कार्यान्वित नहीं की जा रही	9
	स्वच्छ सिटी प्लान/डीपीआर लागू नहीं है	6
■	कचरे के सभी ट्रक/वाहन का पता लगाना	
	आईसीटी आधारित टूल्स (आरएफआईडी रीडर/जीपीएस आदि)	18
	मैनुअली पता लगाना	9
	पता नहीं लगाना	0

1.2 नगरपालिका ठोस अपशिष्ट-प्रसंस्करण व निपटान (पूर्णांक 180)

■	क्या भू-भराव वैज्ञानिक तरीके से किया जा रहा है	
	संस्तुत भू-भराव प्रक्रिया अपनाना	36
	अनियोजित गिराव	0
■	क्या एकत्रित अपशिष्ट के शोधन से पहले प्रसंस्करण के लिए अलग* करने में प्रोद्योगिकियों का प्रयोग हो रहा है।	
	हां	45
	नहीं	0
■	अपशिष्ट शोधन (अपशिष्ट से बिजली अथवा कम्पोस्ट तैयार करना) – भू-भराव में जाने वाले अपशिष्ट/कमिंगलेड/इनर्ट	
	अपशिष्ट का प्रतिशत	
	भू-भराव के लिए जाने वाले 20.	45
	भू-भराव के लिए जाने वाले 20. से अधिक	29

■ प्रसंस्करण संयंत्र है	
8 घंटे/प्रति दिन और इससे अधिक के लिए रनिंग	54
4-7 घंटे/प्रति दिन से रनिंग	41
4 घंटे से कम रनिंग	32
1.3 सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालय (पूर्णांक 135)	
■ क्या सार्वजनिक शौचालय और सामुदायिक शौचालय का प्रावधान करने के लिए अनुमान लगाने का अध्ययन आरंभ किया गया है?	
हां	9
नहीं	0
■ सार्वजनिक शौचालय-एसबीएम पोर्टल के अनुसार नगर लक्ष्य के प्रति निर्मित शौचालयों की वास्तविक संख्या के बीच अंतर का प्रतिशत क्या है?	
कोई अंतर नहीं	23
1-25%	16
26-50%	11
51-75%	5
>75%	0
■ सार्वजनिक शौचालय-एसबीएम पोर्टल के अनुसार नगर लक्ष्य के प्रति निर्मित शौचालयों की वास्तविक संख्या के बीच अंतर का प्रतिशत क्या है?	
कोई अंतर नहीं	11
1-25%	9
26-50%	6
51-75%	3
>75%	0
■ सार्वजनिक शौचालय-क्या एसबीएम पोर्टल को निर्मित शौचालयों की संख्या से अद्यतन कर दिया गया है।	
हां	11
नहीं	0
■ सामुदायिक शौचालय-क्या एसबीएम पोर्टल को निर्मित शौचालयों की संख्या से अद्यतन कर दिया गया है।	
हां	11
नहीं	0
■ सार्वजनिक शौचालयों का अनुरक्षण कैसे किया जाता है?	
तृतीय पक्ष/निजी ठेकेदार द्वारा अनुरक्षण	23
नगरपालिका कर्मचारियों द्वारा अनुरक्षण	11
कोई अनुरक्षण नहीं	0
■ सामुदायिक शौचालय का अनुरक्षण कैसे किया जाता है?	
समुदाय द्वारा अनुरक्षण	23
तृतीय पक्ष/निजी ठेकेदार द्वारा अनुरक्षण	14
नगरपालिका कर्मचारियों द्वारा अनुरक्षण	7
कोई अनुरक्षण नहीं	0
■ कितने प्रतिशत सार्वजनिक शौचालय सीवरेज प्रणाली से या स्थल पर सुरक्षित निपटान से जुड़े हैं?	
100%	6
75-99%	5
50-74%	3
25-49%	2
< 25%	0
■ कितने प्रतिशत सामुदायिक शौचालय सीवरेज प्रणाली से या स्थल पर सुरक्षित निपटान से जुड़े हैं?	
100%	6
75-99%	5
50-74%	3
25-49%	2
< 25%	0

- क्या यूएलबी आईसीटी/प्रौद्योगिकी साधनों द्वारा सार्वजनिक शौचालयों प्रयोग का पता लगता है?
 - आईसीटी/प्रौद्योगिकी साधनों द्वारा पता लगाना 6
 - मैनुअल प्रणाली द्वारा पता लगाना 4
 - पता नहीं लगाना 0
- क्या यूएलबी आईसीटी/प्रौद्योगिकी साधनों द्वारा सामुदायिक शौचालयों के प्रयोग का पता लगता है?
 - आईसीटी/प्रौद्योगिकी साधनों द्वारा पता लगाना 6
 - मैनुअल प्रणाली द्वारा पता लगाना 4
 - पता नहीं लगाना 0

1.4 व्यक्तिगत शौचालय (पूर्णांक 135)

- क्या एसबीएम पोर्टल कुल सत्यापित आवेदनों के साथ अद्यतन कर दिया गया है?
 - हां 18
 - नहीं 0
- क्या एसबीएम कुल सत्यापित आवेदनों के साथ अद्यतन कर दिया गया है?
 - हां 18
 - नहीं 0
- क्या एसबीएम पोर्टल को प्राप्त आवेदनों की संख्या के साथ अद्यतन कर दिया गया है?
 - हां 18
 - नहीं 0
- क्या एसबीएम पोर्टल पर निर्मित शौचालयों के फोटोग्राफ अपलोड किए गए हैं?
 - हां 18
 - नहीं 0
- आवेदनों के लिए स्वीकृत व्यक्तिगत शौचालयों का प्रतिशत अंतर क्या है?
 - कोई अंतर नहीं 32
 - 1-25% 24
 - 26-50% 16
 - 51-75% 8
 - >75% 0
- राज्य लक्ष्यों के बदले निर्मित व्यक्तिगत शौचालयों का प्रतिशत अंतर क्या है?
 - कोई अंतर नहीं 31
 - 1-25% 24
 - 26-50% 16
 - 51-75% 8
 - >75% 0

1.5 ओडीएफ और एसडब्ल्यूएम के लिए रणनीति (कुल अंक 45)

- ओडीएस वार्डों का प्रतिशत (100:)
 - >75% प्रतिशत वार्डों ओडीएफ है। 10
 - 51-75% के बीच के वार्डों ओडीएफ है। 7
 - 25-50% के बीच के वार्डों ओडीएफ है। 4
 - >25% से कम वार्डों ओडीएफ है। 0
- क्या स्वच्छ सिटी प्लान/डीपीआर है।
 - पोर्टल पर तैयार किए गए, अनुमोदित, अद्यतन और क्रियान्वित किए जा रहे 5
 - तैयार किए गए और अनुमोदित 3
 - तैयार लेकिन अनुमोदन नहीं 2
 - तैयार नहीं किया गया 0
- क्या खुले में शौच/मूत्र त्याग/कूड़ा डालने के स्थान पर कोई रणनीति हैं:
 - शहर में खुले में शौच करने के लिए आशंकित क्षेत्रों में खुले में शौच के स्थान पर रणनीति है 8
 - शहर में खुले में शौच करने के लिए आशंकित क्षेत्रों की पहचान कर ली है लेकिन इन्हें हटाने के स्थान पर कोई रणनीति नहीं है। 4
 - शहर में खुले में शौच करने के लिए आशंकित क्षेत्रों की पहचान नहीं की है। 0

■ क्या शहर में खुले में शौच/मूत्र/कूड़ा करने की निगरानी के लिए कोई निगरानी तंत्र (प्रोद्योगिकी/आईसीटी/सोशल मीडिया के स्थान पर) है	5
या तो प्रोद्योगिकी हो अथवा सोशल मीडिया उपलब्ध हो	3
न तो प्रोद्योगिकी उपलब्ध हो और न ही सोशल मीडिया उपलब्ध हो	0
■ सार्वजनिक एवं सामुदायिक शौचालयों के निर्माण की रणनीति	
भूमि की पहचान कर ली गई है और निविदा/कार्य दे दिया है	4
भूमि की पहचान कर ली है लेकिन निविदा नहीं की है	2
भूमि की पहचान नहीं की है	0
■ क्या खुले में शौच/मूत्र/कूड़ा डालने के लिए कोई स्पॉट जुर्माना/प्रशासनिक प्रभार अधिसूचित किया है।	
स्पॉट जुर्माना अधिसूचित किया एवं एकत्रित किया	4
स्पॉट जुर्माना अधिसूचित लेकिन एकत्रित नहीं किया	2
स्पॉट जुर्माना अधिसूचित नहीं किया है	0
■ शिकायत दर्ज करवाने के लिए नागरिक एसएमएस सर्विस/एप्स/सोशल मीडिया उपलब्ध है	
हाँ	5
नहीं	0
■ नागरिक शिकायतों को सुन्ने/भेजने के स्थान पर कॉल सेंटर	
हाँ	4
नहीं	0
1.6 आईसीसी/व्यवहार परिवर्तन संचार (कुल अंक 45)	
■ बड़ी होर्डिंग (न्यूनतम 8' × 8')	
प्रति 50,000 की जन संख्या पर 1	8
प्रति 50,001–75,000 की जनसंख्या पर 1	6
प्रति 75,001–1,00,000 जनसंख्या पर 1	2
प्रति 1,00,000 से कम जनसंख्या पर 1	0
■ आई ईसी/बीसीसी में शामिल स्व: सहायता समूह और अन्य स्वैच्छिक समूह	
शामिल तथा सक्रिय स्व: सहायता समूह	9
शामिल स्व: सहायता समूह	4
शामिल न हुए स्व: सहायता समूह	0
■ स्वच्छता एंबेसडर	
स्वच्छता एंबेसडर की पहचान कर ली है और वह सक्रिय है	8
स्वच्छता एंबेसडर की पहचान कर ली है	4
स्वच्छता एंबेसडर की पहचान नहीं कर ली है	0
■ स्वच्छ भारत मिशन पर स्थानीय केबल नेटवर्क/ब्लक एसएमएस/जागरूकता अभियान/संदेश देने वाले समाचार पत्र पम्फलेट्स और सोशल मीडिया इंटरवेंशन	
सभी तीन जिनमें प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया और जागरूकता अभियान शामिल हो	8
या तो तीन में से एक अर्थात प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया अथवा जागरूकता अभियान	4
न तो तीनों अर्थात प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, अथवा जागरूकता अभियान	0
■ विशेष अभियान – माईगोव और एसबीएम पोर्टल पर अपलोड किए गए विषयक अभियानों की मीडिया कवरेज	
हाँ	12
नहीं	0
'शहरी विकास मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाएगा क्यूसीआई (सर्वेक्षण एजेंसी) द्वारा मूल्यांकन नहीं किया गया ।	

प्रतिवादी: स्वतंत्र सर्वेक्षणकर्ता (कुल अंक 500)

2.1. वाणिज्यिक/मुख्य बाजार क्षेत्र (कुल अंक 200)

कोटि-निर्धारण स्कीम	अंक
- वाणिज्यिक क्षेत्रों में उपलब्ध अपशिष्ट संग्रहण पात्र 100 मीटर के भीतर एक कुड़ादान 11 200 मीटर के भीतर एक कुड़ादान 6 200 मीटर के भीतर एक कुड़ादान नहीं 0 - वाणिज्यिक क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट नहीं पाया गया 100. स्वच्छ क्षेत्र 11 75. स्वच्छ क्षेत्र 8 50. स्वच्छ क्षेत्र 4 50. स्वच्छ क्षेत्र 0 - वाणिज्यिक क्षेत्रों में स्वच्छ भारत मिशन संदेश के साथ स्थानों पर बड़े विज्ञापन (न्यूनतम 8 'ग8' के आकार में) - हां 5 - नहीं 0	
2.2 सार्वजनिक शौचालय	
- पुरुषों के लिए सार्वजनिक शौचालय (सीट के साथ) की उपलब्धता - हां 7 - नहीं 0 - महिलाओं के लिए सार्वजनिक शौचालय (सीट के साथ) की उपलब्धता - हां 7 - नहीं 0 - सार्वजनिक शौचालय स्त्री पुरुष दोनों के अनुकूल (पुरुष तथा महिला के लिए पृथक भाग), बच्चों के अनुकूल है तथा अशक्त जनों को भी बेहतर सुविधाएं देता है। - हां 7 - नहीं 0 - सार्वजनिक शौचालयों में प्रचालनात्मक आधारभूत अवसंरचना (नल, जलवाही, दरवाजे, वाश-वेसिन आदि)। - हां 7 - नहीं 0 - सार्वजनिक शौचालय अच्छे से प्रकाशित (अंधकारहीन क्षेत्र) और हवादार है। - हां 7 - नहीं 0 - शुरू किए गए सार्वजनिक शौचालयों का रख-रखाव कैसा है। - तृतीय पक्ष/निजी ठेकेदार द्वारा रख-रखाव 7 - म्युनिसपल कर्मचारियों द्वारा रख-रखाव 3 - कोई रख-रखाव नहीं 0 - वाणिज्यिक क्षेत्र में सार्वजनिक शौचालय सीवरेज प्रणाली या सुरक्षित ऑनसाइट सफाई सुविधा से जुड़े हैं – कोई खुली जल निकासी नहीं। - हां 7 - नहीं 0 - वाणिज्यिक क्षेत्रों में सार्वजनिक शौचालयों व्यवहार परिवर्तन को लेकर एक बड़े संदेश के वाहक हैं। - हां 7 - नहीं 0	
2.3 सामुदायिक शौचालय	
- स्लम क्षेत्रों में / के निकट पुरुषों के लिए सामुदायिक शौचालयों (सीट के साथ) की उपलब्धता। - हां 7 - नहीं 0 - स्लम क्षेत्रों में / के निकट महिलाओं के लिए सामुदायिक शौचालयों (सीट के साथ) की उपलब्धता। - हां 7 - नहीं 0	

■ सामुदायिक शौचालय स्त्री पुरुष दोनों के अनुकूल (पुरुष तथा महिला के लिए पृथक भाग), बच्चों के अनुकूल है तथा अशक्त जनों को भी बेहतर सुविधाएं देता है।	
हां	7
नहीं	0
■ सामुदायिक शौचालयों में प्रचालनात्मक आधारभूत अवसंरचना (नल, जलवाही, दरवाजे, वाश-वेसिन आदि)।	
हां	7
नहीं	0
■ शुरू किए गए सामुदायिक शौचालयों का रख-रखाव कैसा है।	
समुदाय / समुदाय आधारित संगठन द्वारा रख-रखाव	6
तृतीय पक्ष / निजी ठेकेदार / म्युनिसिपल कर्मचारियों द्वारा रख-रखाव	3
कोई रख-रखाव नहीं	0
■ सामुदायिक शौचालय अच्छे से प्रकाशित (अंधकारहीन क्षेत्र) और हवादार है।	
हां	6
नहीं	0
■ स्लमों में सामुदायिक शौचालय सीवरेज प्रणाली या सुरक्षित ऑन-साइट सफाई सुविधा से जुड़े हैंकोई खुली जल निकासी नहीं। (देख-रेख/निरंतर सामुदायिक संपर्क)	
हां	6
नहीं	0
2.4 आवासीय क्षेत्र : स्लम-शहरी गांव/अनौपचारिक बस्तियां	
■ आवासीय क्षेत्रों (स्लम) में ठोस अपशिष्ट नहीं पाया गया	
100% स्वच्छ क्षेत्र	11
75% स्वच्छ क्षेत्र	8
50% स्वच्छ क्षेत्र	4
<50% स्वच्छ क्षेत्र	0
■ दृश्यता: अपशिष्ट परिवहन स्टेशन	
परिवहन स्टेशन बेहतर रख-रखाव वाले और पेंट किए हुए हैं	10
परिवहन स्टेशन बेहतर रख-रखाव वाले और पर पेंट नहीं किए हुए हैं	5
परिवहन स्टेशन न बेहतर रख-रखाव वाले और न ही पेंट नहीं किए हुए हैं	0
■ ठोस अपशिष्ट केवल अपशिष्ट परिवहन स्टेशन के भीतर ही डाले जाते हैंकोई फैक्लाव नहीं।	
हां	11
नहीं	0
■ स्लम क्षेत्रों में व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय सीवरेज प्रणाली या सुरक्षित ऑन-साइट सफाई सुविधा से जुड़े हैं – कोई खुली जल निकासी नहीं। (देख रेख/निरंतर सामुदायिक संपर्क)	
हां	32
नहीं	0
■ स्लम क्षेत्र के लोग खुले में शौच/मूत्र त्याग नहीं करते है (प्रेक्षण/निरंतर सामुदायिक संपर्क)	
हां	10
नहीं	0
■ स्वच्छ भारत मिशन पर स्थानीय केबल नेटवर्क/बहुतायात मात्रा में एसएमएस/जागरूकता अभियान/संदेश का प्रसार करके समाचार पत्र पेम्पलेट और सामाजिक मीडिया कार्यक्रम (प्रेक्षण/निरंतर सामुदायिक संपर्क)	
प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया और जागरूकता अभियानों सहित सभी तीन	5
इन तीन में से दो अर्थात् प्रिंट मिडिया, डिजिटल मीडियाा अथवा जागरूकता अभियान।	3
इन तीन में से कोई एक अर्थात् प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया अथवा जागरूकता अभियान	2
इन तीन में से कोई नहीं अर्थात् प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया और जागरूकता अभियान	0

2.5 आवासीय क्षेत्र: नियोजित कॉलोनी

■ आवासीय क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट नहीं पाया गया	
100% स्वच्छ क्षेत्र	10
75% स्वच्छ क्षेत्र	6
50% स्वच्छ क्षेत्र	3
50% स्वच्छ क्षेत्र	0
■ दृश्यता: अपशिष्ट अंतरण/स्टेशन टिप्पर	
अंतरण स्टेशन बेहतर रख-रखाव वाले और पेंट किए हुए हैं	11
अंतरण स्टेशन बेहतर रख-रखाव वाले और पर पेंट नहीं किए हुए हैं	6
अंतरण स्टेशन बेहतर रख-रखाव वाले और न ही पेंट नहीं किए हुए हैं	0
■ ठोस अपशिष्ट केवल अपशिष्ट अंतरण स्टेशन के भीतर ही डाले जाते हैं-कोई फैलाव नहीं।	
हां	11
नहीं	0
■ नियोजित कॉलोनी में व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय सीवरेज प्रणाली या सुरक्षित ऑन साइड सफाई सुविधा से जुड़े हैं – कोई खुली जल निकासी नहीं। (देख रेख/निरंतर सामुदायिक संपर्क)	
हां	31
नहीं	0
■ नियोजित कॉलोनी के लोग खुले में शौच/मूत्र त्याग नहीं करते हैं (प्रेक्षण/निरंतर सामुदायिक संपर्क)	
हां	10
नहीं	0
■ स्वच्छ भारत मिशन पर स्थानीय केबल नेटवर्क/बहुतायात मात्र में एसएमएस/जागरूकता अभियान/संदेश का प्रसार करके समाचार पत्र पेम्पलेट और शोशल मीडिया कार्यक्रम (प्रेक्षण/निरंतर सामुदायिक संपर्क)	
प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया और जागरूकता अभियानों सहित सभी तीन	5
इन तीन में से एक अर्थात् प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया अथवा जागरूकता अभियान	3
इन तीन में से कोई नहीं अर्थात् प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया अथवा जागरूकता अभियान	2
प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया और जागरूकता अभियानों सहित सभी तीन	0

2.6 आवासीय क्षेत्र: अनियोजित कॉलोनी

■ अनियोजित कॉलोनी में ठोस अपशिष्ट नहीं पाया गया	
100% स्वच्छ क्षेत्र	10
75% स्वच्छ क्षेत्र	6
50% स्वच्छ क्षेत्र	3
50% स्वच्छ क्षेत्र	0
■ दृश्यता: अनियोजित कॉलोनी में अपशिष्ट अंतरण स्टेशन/टिप्पर	
अंतरण स्टेशन बेहतर रख-रखाव वाले और पेंट किए हुए हैं	11
अंतरण स्टेशन बेहतर रख-रखाव वाले और पर पेंट नहीं किए हुए हैं	6
अंतरण स्टेशन न बेहतर रख-रखाव वाले और न ही पेंट नहीं किए हुए हैं	0
■ ठोस अपशिष्ट केवल अपशिष्ट अंतरण स्टेशन के भीतर ही डाले जाते हैं – कोई फैलाव नहीं।	
हां	11
नहीं	0
■ अनियोजित कॉलोनी में व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय सीवरेज प्रणाली या सुरक्षित ऑन साइड सफाई सुविधा से जुड़े हैं – कोई खुली जल निकासी नहीं। (देख रेख/निरंतर सामुदायिक संपर्क)	
हां	32
नहीं	0

■ नियोजित कॉलोनी के लोग खुले में शौच/मूत्र त्याग नहीं करते हैं (प्रेक्षण/निरंतर सामुदायिक संपर्क)	हां नहीं	10 0
■ स्वच्छ भारत मिशन पर स्थानीय केबल नेटवर्क/बहुतायात मात्रा में एसएमएस/जागरूकता अभियान/संदेश का प्रसार करके समाचार पत्र पेमप्लेट और शोशल मीडिया कार्यक्रम (प्रेक्षण/निरंतर सामुदायिक संपर्क)	प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया और जागरूकता अभियानों सहित सभी तीन इन तीन में से एक अर्थात् प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया अथवा जागरूकता अभियान इन तीन में से कोई नहीं अर्थात् प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया अथवा जागरूकता अभियान प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया और जागरूकता अभियानों सहित सभी तीन	5 3 2 0
2.7 थोक जनरेटर – होटल/बैंक्विट हॉल/साप्ताहिक सब्जी बाजार/सब्जी मंडी		
■ संग्रहण क्षेत्र में ठोस अपशिष्ट नहीं पाया गया	100% स्वच्छ क्षेत्र 75% स्वच्छ क्षेत्र 50% स्वच्छ क्षेत्र <50% स्वच्छ क्षेत्र	11 8 4 0
■ दृश्यता: अपशिष्ट अंतरण स्टेशन	अंतरण स्टेशन बेहतर रख-रखाव वाले और पेंट किए हुए हैं अंतरण स्टेशन बेहतर रख-रखाव वाले और पर पेंट नहीं किए हुए हैं अंतरण स्टेशन न बेहतर रख-रखाव वाले और न ही पेंट किए हुए हैं	11 6 0
■ दैनिक अपशिष्ट के प्रबंध के लिए अंतरण स्टेशन का आकार पर्याप्त है। (कोई फैलाव नहीं)	हां नहीं	11 0
2.8 धार्मिक स्थान – मंदिर/मस्जिद/गिरजाघर आदि		
■ संग्रहण क्षेत्र में ठोस अपशिष्ट नहीं पाया गया	100% स्वच्छ क्षेत्र 75% स्वच्छ क्षेत्र 50% स्वच्छ क्षेत्र <50% स्वच्छ क्षेत्र	11 8 4 0
■ दृश्यता अपशिष्ट अंतरण स्टेशन	अच्छी तरह अनुरक्षित और पेंट किया गया स्टेशन अच्छी तरह अनुरक्षित लेकिन पेंट किया गया स्टेशन न ही अनुरक्षित और पेंट नहीं किया गया स्टेशन	11 6 0
■ दैनिक अपशिष्ट को प्रबंधन करने के लिए सक्षम अंतरण स्टेशनों का आकार	जी हाँ जी नहीं	11 0
2.9 मुख्य रेलवे स्टेशन		
■ संग्रहण क्षेत्र में ठोस अपशिष्ट नहीं पाया गया	100% स्वच्छ क्षेत्र 75% स्वच्छ क्षेत्र 50% स्वच्छ क्षेत्र <50% स्वच्छ क्षेत्र	11 8 4 0

■	दृश्यता अपशिष्ट अंतरण स्टेशन	
	अच्छी तरह अनुरक्षित और पेंट किया गया स्टेशन	11
	अच्छी तरह अनुरक्षित लेकिन पेंट किया गया स्टेशन	6
	न ही अनुरक्षित और पेंट नहीं किया गया स्टेशन	0
■	दैनिक अपशिष्ट को प्रबंधन करने के लिए सक्षम अंतरण स्टेशनों का आकार पर्याप्त है	
	जी हाँ	11
	जी नहीं	0

2.10 मुख्य बस स्टेशन-अंतरा-राज्य बस टर्मिनल

■	संग्रहण क्षेत्र में ठोस अपशिष्ट नहीं पाया गया	
	100% स्वच्छ क्षेत्र	11
	75% स्वच्छ क्षेत्र	8
	50% स्वच्छ क्षेत्र	4
	<50% स्वच्छ क्षेत्र	0
■	दृश्यता अपशिष्ट अंतरण स्टेशन/कूड़ेदान	
	अच्छी तरह अनुरक्षित और पेंट किया गया स्टेशन	11
	अच्छी तरह अनुरक्षित लेकिन पेंट किया गया स्टेशन	6
	न ही अनुरक्षित और पेंट नहीं किया गया स्टेशन	0
■	ठोस अपशिष्ट केवल अपशिष्ट अंतरण स्टेशन में फँका हो-बाहर बिखरा न हो आकार पर्याप्त है	
	जी हाँ	11
	जी नहीं	00
■	व्यवहार बदलाव के संबंध में बड़े संदेशों को देने वाले वाणिज्यिक वाहन	
	जी हाँ	5
	जी नहीं	0
■	क्या आप अपने क्षेत्र को स्वच्छ पाते हैं?	
	हमेशा	114
	कभी-कभी	77
	कभी-कभार	38
	कभी नहीं	0
■	क्या आपको क्षेत्रों में आसानी से कूड़ादान उपलब्ध होता है?	
	हमेशा	114
	कभी-कभी	77
	कभी-कभार	38
	कभी नहीं	0
■	आपके घर से नगर निगम प्रतिनिधियों द्वारा घर-घर जाकर अपशिष्ट संग्रहण और परिवहन किया जाता है	
	प्रतिदिन	114
	2 दिनों में एक बार	86
	3-4 दिनों में एक बार	58
	एक हफ्ते में एक बार	29
	घर-घर जाकर अपशिष्ट के संग्रहण नहीं होना	0

प्रतिवादी: नागरिक (कुल अंक 600)

■	शौचालय तक पहुंच-सार्वजनिक/उपलब्ध सामुदायिक शौचालय	
	500 मी० के अंतर्गत एक शौचालय	64
	1 कि॰मी॰ के अंतर्गत एक शौचालय	42
	2 कि॰मी॰ के अंतर्गत एक शौचालय	20
	2 कि॰मी॰ के अंतर्गत कोई शौचालय नहीं	0
■	उपलब्ध और व्यावहारिक सार्वजनिक/सामुदायिक शौचालय में बुनियादी सुविधा (टैंप, फ्लश, हैंडवाश, दरवाजा, बिजली आदि)	
	हमेशा	62
	कभी-कभी	42
	कभी-कभार	20
	कभी नहीं	0
■	क्या आपके घर में शौचालय है?	
	जी हां	132
	जी नहीं लेकिन नगर पालिका शौचालय निर्माण के लिए संपर्क किया है	66
	जी नहीं	0



Ministry of Urban Development



एक कदम स्वच्छता की ओर



